

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>गणेशजी सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13/11/17</p>	<p>17 2003</p> <p>पगवली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता कपीलाबाई उपास्फित नहीं हुये। उन्हे बार-बार लगातार आवाजे लगाई गयी, लेकिन वे अनुपास्फित रहे। कपीलाबाई स्वयं भी अनुपास्फित रहा। अतः कपील कपीलाबाई अडम चरबी व अडम हाजरी में खारिज की जाती है। तदनुसार पगवली केसल शुमार होकर बाद तकनीक सम्बन्धित दफ्तर है। कोठवा सुवाभा गणेशजी</p>	